भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1845
बुधवार, 04 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

शहरी बेरोजगारी की दर

1845. श्री एम. शनमुगमः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत छह महीनों में देश में शहरी बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बेरोजगारी की वर्ष-वार दर क्या रही है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषरूप से ऑटोमोबाइल, वस्त्र और असंगठित क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रयास किये गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। जुलाई-सितम्बर, 2020 के नवीनतम उपलब्ध पीएलएफएस तिमाही बुलेटिन के अनुसार, देश में शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सीमा तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार तिमाही बेरोजगारी दर (% में) जुलाई-सितम्बर, 2019, अक्तूबर-दिसम्बर, 2019, जनवरी-मार्च, 2020, अप्रैल-जून, 2020 तथा जुलाई-सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाहियों में क्रमशः 8.3%, 7.8%, 9.1%, 20.8% तथा 13.2% थी। सर्वेक्षण अवधि जुलाई, 2019-जून, 2020 की सर्वेक्षण अवधि को कवर करते हुए, वार्षिक पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी की दर निम्नानुसार थीः

पीएलएफएस	बेरोजगारी दर (% में)		
(वर्ष)	ग्रामीण	शहरी	योग
2017-18	5.3	7.7	6.0
2018-19	5.0	7.6	5.8
2019-20	3.9	6.9	4.8

(घ): भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

भारत सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ाने और रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी प्रारंभ की है।

*****